



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29012020-215772
CG-DL-W-29012020-215772

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 19—जनवरी 25, 2020, शनिवार/पौष 29—माघ 5, 1941
No. 03] NEW DELHI, JANUARY 19—JANUARY 25, 2020, SATURDAY/PAUSHA 29—MAGHA 5, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सक
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2019

का.आ. 95.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री चौ. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव को दिनांक 18.9.2021 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करने से है।।

[फा. सं. 13/23/2016-बीओ-1]

एस. के. राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 5th December, 2019

S.O. 95.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank in relation to the nomination of Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao, Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab National Bank on the Boards of PNB Housing Finance Limited and PNB Metlife India Insurance Company limited as Director, for a period up to 18.9.2021 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 13/23/2016-BO-I]

S. K. ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

का.आ. 96.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्वारा, श्री संजीव माहेश्वरी (जन्म तिथि 26.8.1964) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/19/2019-बीओ-I]

एस. के. रॉय, अवर सचिव

New Delhi, the 20th December, 2019

S.O. 96.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with Reserve Bank of India, hereby nominates Shri Sanjeev Maheshwari (DoB: 26.8.1964) as part-time non-official Director on the Central Board of Directors of State Bank of India, for a period of three years, with effect from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/19/2019-BO-I]

S. K. ROY, Under Secy.